भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

प्रेस नोट सं. 9 (2012 श्रृंखला)

**विषय: 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के न्यूनतम पूंजीकरण के साथ 75% से अधिक तथा 100% से कम विदेशी निवेश वाली एनबीएफसी द्वारा स्टेप डाउन (प्रचालनरत) अनुषंगी कम्पनियों की स्थापना- "2012 का परिपत्र 1-'समेकित एफडीआई नीति" का पैरा 6.2.24.2 (1) (iv) में संशोधन**

1.0 वर्तमान स्थिति

1.1 दिनांक 10.4.2012 से प्रभावी "2012 का परिपत्र 1-समेकित एफडीआई नीति" के पैरा 6.2.24.2 (1) (iv) के अनुसार 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के न्यूनतम पूंजीकरण के साथ 100% विदेशी स्वामित्व वाली एनबीएफसी विशिष्ट एनबीएफसी गतिविधियों के लिए स्टेप डाउन अनुषंगी कम्पनियों को प्रचालनरत अनुषंगी कम्पनियों की संख्या संबंधी नियंत्रण के बिना और अतिरिक्त पूंजी लगाये बिना स्थापित कर सकती हैं। **इसलिए उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 3.10.4.1 में अधिदेशित न्यूनतम पूंजीकरण की शर्त अनुप्रवाह अनुषंगियों के लिए लागू नहीं होंगी ।**

2.0 संशोधित स्थिति

2.1 भारत सरकार ने उक्त परिपत्र का पैरा 6.2.24.2 (1) (iv) में दिए गए अनुसार नीति की समीक्षा की है तथा (i) 75% से अधिक तथा 100% से कम विदेशी स्वामित्व निवेश वाली तथा (ii) 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के न्यूनतम पूंजीकरण वाली एनबीएफसी को प्रचालनरत अनुषंगी कम्पनियों की संख्या संबंधी नियंत्रण के बिना और अतिरिक्त पूंजी लगाये बिना विशिष्ट एनबीएफसी गतिविधियों के लिए स्टेप डाउन अनुषंगी कम्पनियों की स्थापना करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

3.0 पैरा 6.2.24.2 (i) (iv) के लिए संशोधन

3.1 तद्नुसार 10 अप्रैल, 2012 से प्रभावी '2012 का परिपत्र 1-समेकित एफडीआई नीति' का पैरा 6.2.24.2 (1) (iV) को नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया जाता है:

> (i) 75% से अधिक तथा 100% से कम विदेशी निवेश वाली तथा (ii) 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के न्यूनतम पूंजीकरण के साथ एनबीएफसी विशिष्ट एनबीएफसी गतिविधियों के लिए स्टेप डाउन अनुषंगी कम्पनियों को प्रचालनरत अनुषंगी कम्पनियों की संख्या संबंधी नियंत्रण के बिना और अतिरिक्त पूंजी लगाये बिना स्थापित कर सकती हैं। **इसलिए उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 3.10.4.1 में अधिदेशित न्यूनतम पूंजीकरण की शर्त अनुप्रवाह अनुषंगियों के लिए लागू नहीं होंगी ।**

4.0 उपर्युक्त निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

(अंजली प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

---

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, फा.सं.: 12/10/2011-एफसी-I दिनांक 3 अक्तूबर, 2012